न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 55/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

भाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यश सूरी
कार्यालय पताः– 406–बी, चतुर्थ तल, मान उपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 राज.

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मानसिंह पुत्र कल्याण सिंह**
   प्रथम पताः– प्लॉट संख्या 66एम, तेलीपाड़ा, शास्त्री नगर, जयपुर–302016, राज.
   द्वितीय पताः– पट्टा संख्या 15, ग्राम पंचायत कांकड़ा, पंचायत समिति दांतारामगढ़, जिला सीकर–332742, राज.
2. **कैलाश कंवर पत्नी कल्याण सिंह** निवासी वार्ड संख्या 01, कांकड़ा, जिला सीकर–332742, राज.
3. **जय सिंह पुत्र कल्याण सिंह** निवासी वार्ड संख्या 01, कांकड़ा, जिला सीकर–332742, राज.
4. **नरेन्द्र सिंह पुत्र कजोड़ मल** निवासी खातोलाई, ढ़ोलसासरी, जिला सीकर 332703 राज.

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.) *

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 27 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री नसीर अहमद खान** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मानसिंह पुत्र कल्याण सिंह, कैलाश कंवर पत्नी कल्याण सिंह, जय सिंह पुत्र कल्याण सिंह** एवं **नरेन्द्र**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सिंह पुत्र कजोड़ मल की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 15, ग्राम पंचायत कांकड़ा, पंचायत समिति दांतारामगढ़, जिला सीकर–332742, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 526 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में बोदू लाल पारीक की सम्पति, पश्चिम दिशा में मदन सिंह राणा, नारायण जी राणा, त्रिलोक एवं घीसा खटीक की सम्पति, उत्तर दिशा में नाथूलाल बलाई की सम्पति एवं दक्षिण दिशा में आम चौक एवं रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹12,25,000/– (अक्षरे रूपये बारह लाख पच्चीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.10.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.10.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मानसिंह पुत्र कल्याण सिंह, कैलाश कंवर पत्नी कल्याण सिंह, जय सिंह पुत्र कल्याण सिंह** एवं **नरेन्द्र सिंह पुत्र कजोड़ मल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 15, ग्राम पंचायत कांकड़ा, पंचायत समिति दांतारामगढ, जिला सीकर–332742, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 526 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में बोदू लाल पारीक की सम्पति, पश्चिम दिशा में मदन सिंह राणा, नारायण जी राणा, त्रिलोक एवं घीसा खटीक की सम्पति, उत्तर दिशा में नाथूलाल बलाई की सम्पति एवं दक्षिण दिशा में आम चौक एवं रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)